



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या— 170
05/03/2020

सर्वसाधारण हेतु आवश्यक सूचना

पटना, 05 मार्च 2020 :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—जिलाधिकारी पटना ने सर्वसाधारण हेतु सूचना जारी की है। तदनुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर अधिग्रहित किये गये वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें मुआवजा का भुगतान अबतक नहीं किया गया है यद्यपि कि उनका वाहन अन्य जिला में परिचालित होने के पश्चात् अंतिम रूप से पटना जिला के किसी भी प्रखण्ड या जिला स्तर से विमुक्त किया गया हो तो वे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर मुआवजा की राशि के बकाया संबंधी साक्ष्य के साथ अपना कागजात प्रखण्ड अथवा जिला परिवहन कार्यालय, पटना में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि भुगतान की कार्रवाई पूर्ण की जा सके।

उक्त अवधि के बाद मुआवजा संबंधी प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी दावा पर विचार नहीं किया जायेगा।
